प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नारायण भाई पुत्र कानजी प्रजापत 15,नूतन सोसायटी पालडी अहमदाबाद 380007		राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी रानीवाडा
प्रकरण अपील		34/2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/00139

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

16.01.2020	अपीलांट अनुपस्थित सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी)रानीवाडा का जवाब प्राप्त हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रानीवाडा ने विन्दुबार जवाब में व्यक्त किया है। बिन्दु संख्या 1- उपखंड अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/1013 दिनांक 26.06.2018 द्वारा तहसीलदार रानीवाडा को पत्र लिखकर विधिवत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।यह पत्र जावक पजिका में 1013 दिनांक 26.06.2018 क्रमांक पर दर्ज है।उक्त पत्र की प्रार्थी को दी गई प्रति की फोटोप्रति है किन्तु मूल प्रति तत्कालिन रीडर श्री जीवराज बालोत हाल, सेवानिवृत होने से एवं पत्रावली में उचित प्रकार संधारित नही होने से तलाशने पर नही मिली है।एवं तहसीलदार रानीवाडा से इस कार्यालय के पत्रांक 22 दिनांक 08.01.2020 से पत्र की प्रमाणित प्रति हेतु लिखा गया था।किन्तु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा भी जवाब में बताया गया है कि मूल प्रति वर्तमान में कार्यालय के मूल रेकर्ड में उपलब्ध नही है।अत:इस कार्यालय में प्रार्थी को भेजी गई प्रतिलिपि की फोटोप्रति उपलब्ध होंने से फोटोप्रति की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक/आर.टी.आई/20/01 दिनांक 06.01.2020 द्वारा भेज दी गई है। बिन्दु संख्या 2 यह है कि प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान/पत्थरगढी बाबत एक प्रार्थना पत्र संख्या 12/2017 न्यायालय उपखंड अधिकारी रानीवाडा में दर्ज किया गया था।जिस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर दिनांक 27.02.2018 को सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को दिये गये थे।तथा उसके बाद तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक 1013 दिनांक 26.06.2018 लिखकर विधिवत कार्यवाही कर रिपोर्ट हेतु लिखा गया था।लेकिन तहसीलदार रानीवाडा द्वारा उक्त पत्रांक के संबंध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत नही करवाया गया है। उपरोक्त जबाब प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से कथन किया गया है कि अपीलांट नारायण भाई द्वारा प्रथम अपील संख्या 35/2019 नारायण भाई बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रानीवाडा में भी इन्ही बिन्दुओ आधारित सूचना चाही जाने पर दिनांक 08.01.2020 को अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार रानीवाडा को निर्देश दिये गये है कि अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना से संबंधित जो सूचना कार्यालय में उपलब्ध है।नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जावे।विचाराधीन अपील में चाही गई सूचना अनुसार प्रथम बिन्दु की सूचना पत्रांक/01 दिनांक 06.01.2020 द्वारा अपीलांट को भिजवाई जा चुकि है तथा मुकदमा संख्या 12/2017 निर्णय दिनांक 27.02.2018 की पालना में दिनांक 05.05.2018 को मौके पर पत्थरगढी भी करवाई जा चुकि है।दिनांक 05.05.2018 की मौका फर्द पर भी अपीलांट नारायण भाई के हस्ताक्षर किये हुये है। इस प्रकार दोनो बिन्दुओ पर पूर्व में अपीलांट को सूचना उपलब्ध करवाई जाने के आधार पर एवं एक ही विषय वस्तु की सूचना आर.टी.आई के जरिये बार-बार चाही जाने के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से

Sd/-

प्रस्तुत जबाव का अध्ययन भी किया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में चाही गई बिन्दु संख्या 1 से संबंधित सूचना मूल पत्र की कार्यालय प्रति तलाशने पर कार्यालय में उपलब्ध नही होने पर चाहे गये पत्र की छाया प्रति कार्यालय में उपलब्ध होने से उपखंड अधिकारी रानीवाडा द्वारा पत्रांक/आर.टी.आई./20/01 दिनांक 06.01.2020 के जरिये अपीलांट को भिजवा दी गई है।बिन्दु संख्या 2 से संबंधित मुकदमा संख्या 12/2017 दिनांक 27.02.2018 की पालना में दिनांक 05.05.2018 को कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार किया जाना तथा फर्द पर अपीलांट के हस्ताक्षर होना रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया है जिसकी सूचना अपीलांट द्वारा चाही जाने पर उपलब्ध नही करवाया जाना प्रतीत हो रहा है।सूचना के अधिकार अधिनियम अनुसार लोक सूचना अधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है।इस संबंध में उपखंड अधिकारी रानीवाडा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना से संबंधित जो सूचना कार्यालय में उपलब्ध है वह सूचना अपीलांट को 15 दिवस की अवधि में नि:शुल्क उपलब्ध करावे।

अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर